



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 07.09.2024

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया सुनील राठी की गैंग के सदस्य अमित उर्फ भूरा को ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियोगों में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया सुनील राठी पुत्र नरेश निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत की गैंग के सदस्य अमित उर्फ भूरा के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर वर्ष 2014 में 440/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट व थाना कोतवाली बागपत पर वर्ष-2015 में मु0अ0सं0 617/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त/ प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा आरोपी अमित उर्फ भूरा को दोषी करार देते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के प्रत्येक अभियोग में 08 वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

नोट- मा0 न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर वर्ष-2015 में पंजीकृत मु0अ0सं0 617/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में सुनील राठी पुत्र नरेश निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत (एचएस नं0 689ए) को 10 वर्ष के कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड, नीरज बवाना पुत्र प्रेम सिंह निवासी 848 बवाना आउटर दिल्ली को 07 वर्ष के कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा सचिन उर्फ मोनू पुत्र नरेश निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत(एचएस नं0 850ए) को 05 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है ।

अभियुक्त अमित उर्फ भूरा के विरुद्ध जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद तथा दिल्ली व उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों में संगीन धाराओं में 50 से अधिक अभियोग जिसमें गैंगस्टर/ लूट/ डकैती/ हत्या के प्रयास/एनडीपीएस एवं आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत हैं। बागपत पुलिस शेष माफियाओं के विरुद्ध भी कार्यवाही हेतु कटिबद्ध है।

आरोपी अमित उर्फ भूरा का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 14/2004 धारा 110जी सीआरपीसी थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2-मु0अ0सं0 159/2005 धारा 323/504/506 भादवि थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3-मु0अ0सं0 23/2006 धारा 395/397/412 भादवि थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 4-मु0अ0सं0 32/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 5-मु0अ0सं0 86/06 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 6-मु0अ0सं0 145/08 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 7-मु0अ0सं0 265/09 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 8-मु0अ0सं0 328/06 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 9-मु0अ0सं0 80/01 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 10-मु0अ0सं0 144/01 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 11-मु0अ0सं0 246/02 धारा 379/411 थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 12-मु0अ0सं0 273/01 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 13-मु0अ0सं0 329/01 धारा 392/ 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 14-मु0अ0सं0 144/02 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 15-मु0अ0सं0 492/02 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 16-मु0अ0सं0 493/02 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 17-मु0अ0सं0 169/05 धारा 323 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 18-मु0अ0सं0 443/2002 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 19- मु0अ0सं0 354/2002 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद शामली।
- 20-मु0अ0सं0 382/02 धारा 392 भादवि थाना सिंघवाली अहीर जनपद बागपत।
- 21-मु0अ0सं0 412/19 धारा 307/452/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 22-मु0अ0सं0 442/02 धारा 307 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

- 23-मु0अ0सं02102/10 धारा 379/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद ।
- 24-मु0अ0सं0 2070/10 धारा 392/382/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद ।
- 25-मु0अ0सं02425/10 धारा 379/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद ।
- 26-मु0अ0सं0 169/10 धारा 25/51/159 आर्म्स एक्ट थाना क्राइम ब्रान्च दिल्ली ।
- 27-मु0अ0सं0111/09 धारा 392/411/34/120B भादवि थाना मधुबिहार दिल्ली ।
- 28-मु0अ0सं0 47/11 धारा 323/324/34 भादवि थाना सीमापुरी दिल्ली ।
- 29-मु0अ0सं0 45/11 धारा 323/324/34 भादवि0 थाना सीमापुरी दिल्ली ।
- 30-मु0अ0सं028/11 धारा 25/27/54 आर्म्स एक्ट थाना स्पेशल सैल जूडिसियल कस्टडी दिल्ली ।
- 31-मु0अ0सं023/10 धारा 468/471/482/411/34 भादवि थाना कल्याणपुरी दिल्ली ।
- 32-मु0अ0सं02660/10 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इन्द्रपुरम दिल्ली ।
- 33-मु0अ0सं0 2239/1887/10 धारा 420/467/468/379 भादवि थाना इन्द्रापुरम दिल्ली ।
- 34-मु0अ0सं0 97/10 धारा 365 भादवि थाना इन्द्रापुरम दिल्ली ।
- 35-मु0अ0सं0 468/2009 धारा 379 भादवि न्यूफैन्डस कालोनी दिल्ली ।
- 36-मु0अ0सं0 104/2009 धारा 379भादवि थाना मालवीय नगर दिल्ली ।
- 37-मु0अ0सं0 172/09 धारा 379 भादवि थाना कीर्तीनगर दिल्ली ।
- 38-मु0अ0सं0 30/09 धारा 379 भादवि थाना जनकपुरी दिल्ली ।
- 39-मु0अ0सं0 120/09 धारा 379 भादवि थाना जनकपुरी दिल्ली ।
- 40-मु0अ0सं0 2688/2489/2723/09 धारा 392/397/406/379 भादवि थाना इन्द्रापुरम दिल्ली ।
- 41-मु0अ0सं0 234/10 धारा 395/397/342/412/120B भादवि थाना देहरादून ।
- 42-मु0अ0सं0 20/11 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डालनवाला देहरादून ।
- 43-मु0अ0सं0 208/08 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 44-मु0अ0सं0 68/09 382 भादवि थाना धरावली रोहतक पंजाब ।
- 45-मु0अ0सं0 396/11 धारा 395/397/412 भादवि थाना शाहाबाद रामपुर ।
- 46-मु0अ0सं0 38/08 धारा 307 भादवि 25/54 आर्म्स एक्ट नोएडा सेक्टर 54 नोएडा ।
- 47-मु0अ0सं023/06 धारा 396/397/412 भादवि फुगाना मुजफ्फरनगर ।
- 48-मु0अ0सं0 2010/10 धारा 392/482/411 भादवि गाजियाबाद ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

अमित उर्फ भूरा पुत्र यशपाल निवासी ग्राम सरनावली थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर
(एचएस नं0 130A थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर)

(08 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 07.09.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने 01 जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन पुत्र सुरेश निवासी पट्टी मोल्हू बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 97/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

2-म्0अ0सं0 357/2019 धारा 147/323/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 126/2023 धारा 452/323/504/506/308 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 400/2023 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम व 297/427 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 402/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

6-मु0अ0सं0 822/2023 धारा 302/120बी भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0 595/2024 धारा 3/10 यूपी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3-है0का0 226 धर्मन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

4-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 07.09.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

अली मौहम्मद पुत्र बसीर निवासी ग्राम सिखैडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर ।
- 2-है०का० 161 दिनेश कुमार थाना चांदीनगर ।
- 3-है०का० 281 राकेश कुमार थाना चांदीनगर ।

